

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

आप.प्रक0 क्रमांक 374 / 2015

संस्थित दिनांक-16 / 05 / 15

फा.नं. 234503003662015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा
 जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

/ / **विरुद्ध** / /

विवेक उर्फ पप्पू पिता सुदर्शन परते, उम्र-30 वर्ष,
 निवासी परसवाड़ा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट।आरोपी

::निर्णय::**(दिनांक 14.11.2017 को घोषित)**

01. अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-379 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 29.11.2014 को सुबह करीब 6:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा के गाडर पुलिया में दो नग लोहे की प्लेटे वजन करीब 100 किलो को बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी की।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अर्जुनलाल राहंगडाले ने थाना परसवाड़ा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह संजय मदनकर रायसिंग एण्ड कंपनी लांजी-बालाघाट में जे.सी.बी. ड्रायवर है। वर्तमान में परसवाड़ा गाडर पुलिया के पास नया पुल निर्माण कार्य चल रहा था, जहां वह देख-रेख करता है। दिनांक 29.11.2014 को दिन शनिवार को सुबह लगभग 6:00 बजे संडास करने नाले पर गया था, उसी समय दो लोग लोहे की सेंटिंग प्लेट नाले तरफ लेकर जा रहे थे। उनसे पूछा कि प्लेट लेकर क्यों जा रहे हो, तो दोनों प्लेटों को फेंककर भाग गये, वहीं पास में परसवाड़ा का जिमी उर्फ सलमान बकरी चरा रहा था, उससे पूछा कि कौन थे, तो उसने एक का नाम विवेक परते निवासी परसवाड़ा बताया तथा उसका साथी कोरजा का है, जिसे वह जानता है। लोहे की

सेंट्रिंग प्लेट दो गुणा चार फीट साईज की है, जो करीब दस हजार रुपये, दो नग प्लेटों को चोरी कर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना उसने फोन से सुपरवाइजर देवचंद भलावी को दिया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी विवेक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03. प्रकरण में अभियुक्त विवेक ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.11.2014 को सुबह करीब 6:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा के गाडर पुलिया में दो नग लोहे की प्लेटें वजन करीब 100 किलो को बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी की ?

::सकारण निष्कर्ष::

05. साक्षी रमेश सोनी अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व की है। वह गाडरपुर परसवाड़ा में काम करने गया था, उसे सुपरवाइजर देवसिंह भलावी ने बताया था कि लोहे की प्लेटें चोरी हो गई है। फिर वह देवसिंह भलावी और अर्जुन के साथ प्लेटें ढूंढने गये थे, तो लोहे की प्लेट नाले के पास मिली थी। वह यह नहीं बता सकता कि चोरी किसने की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा कि वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 29.11.2014 दिन शनिवार के सुबह सात बजे की है। वह आठ बजे काम पर गया था, तब की बात है। घटना पुरानी होने के कारण वह सही दिनांक नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा कि

प्लेट किसने चुराया था, उसे जानकारी नहीं है। प्लेट चोरी गया था या नहीं इसकी भी उसे जानकारी नहीं है।

06. साक्षी संजय मदनकर अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। वह प्रार्थी अर्जुन राहंगडाले को जानता है, जो कंपनी में ऑपरेटर के पद पर था। घटना वर्ष 2014 की है। कंपनी का कार्य गाडरपुल ग्राम परसवाड़ा के पास नये पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। उसे मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई, उसने बताया गाडरपुल साईड दो व्यक्ति सेंड्रिंग प्लेट दो नग चोरी कर ले जा रहे हैं, तब वह जाकर देखा तो वहाँ दोनों व्यक्ति आवाज देने पर सेंड्रिंग प्लेट दो नग छोड़कर भाग गये थे, उसे बाद में पता चला कि सेंड्रिंग प्लेट चोरी करने वाला विवेक था, जिसके संबंध में उन्होंने थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाये थे। पुलिसवालों ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07. साक्षी संजय मदनकर अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जहाँ गाडर पुलिया का निर्माण उनके द्वारा करवाया जा रहा था, उस घटनास्थल पर कितनी सेंड्रिंग प्लेटें थी, वह आज उनकी निश्चित संख्या नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया कि वह प्लेट चोरी जाने की सूचना मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर नहीं गया था। यह स्वीकार किया कि जहाँ पर निर्माण कार्य चलता है, वहाँ पर वे चौकीदार व सुपरवाइजर को अपना सामान गिनती कर ही देते हैं तथा जो व्यक्ति सेंड्रिंग प्लेट चोरी कर ले जाने की बात अर्जुन ने बताया था उनको उसने नहीं देखा था। यह स्वीकार किया कि वह अर्जुन के बताये अनुसार बयान दिया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि गाडर पुल के पास उसकी दो सेंड्रिंग प्लेट की चोरी नहीं हुई थी, अर्जुन और चौकीदार द्वारा गलत जानकारी उसे दी गयी थी। यह स्वीकार किया कि उसने गाडर पुल में चौकीदार व सुपरवाइजर को कितनी प्लेट चार्ज में दिया था, इसकी उसे आज जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार वह रिकार्ड देखकर बता सकता है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उनके अधीनस्थ चौकीदार व सुपरवाइजर स्वयं सामान बेच देते हैं और चोरी की गलत जानकारी देते हैं तथा

गाडरपुल साईड से दो लोहे की प्लेट चोरी नहीं हुई थी वह अर्जुन के बताये अनुसार गलत जानकारी दे रहा है।

08. साक्षी देवचंद भलावी अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह प्रार्थी अर्जुन राहंगडाले को भी जानता है, जो कंपनी में ऑपरेटर के पद पर था। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पहले सुबह के समय की है। वह उस समय लिंगा में सुपरवाईजर के पद पर पदस्थ था। परसवाड़ा में नये पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। वह अपने ग्राम लिंगा में था, तभी मशीन ऑपरेटर ने मोबाईल से बताया कि दो व्यक्ति दो लोहे की सेंट्रिंग लेकर जा रहे थे। वह तुरंत परसवाड़ा जाकर देखा तो वहां दोनों व्यक्ति लोहे की प्लेट छोड़कर भाग गये थे, उक्त प्लेट का साईज दो गुणा चार फिट था, जिसकी कुल कीमत दस हजार रूपये थी। जिसकी सूचना उन्होंने अपने सेठ संजय मदनकर ठेकेदार को दी थी। वह फिर अर्जुन के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया था। पुलिसवालों ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से दो लोहे की प्लेट जप्त की थी, जो प्र.पी01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. साक्षी देवचंद भलावी अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे लोहा चोरी जाने की फोन से जानकारी मिली थी, दो व्यक्ति जो लोहा चोरी कर ले जा रहे थे, उनका नाम उसे नहीं मालूम, जहाँ गाडर पुल का निर्माण हो रहा था, वहां लोहा खुला पड़ा हुआ था, घटना के समय वह लिंगा में था, जहाँ गाडरपुल का निर्माण हो रहा था, उसके निवास से एक कि०मी० दूर है, उसने सेंट्रिंग प्लेट खेत में बंधी में देखा था, किसकी जमीन थी, वह नहीं बता सकता, उसी जगह पर गाडर पुलिया का निर्माण हो रहा था, फिर उन प्लेट को उन्होंने कैम्पस में ला लिये थे, जहाँ गाडर पुलिया का निर्माण हो रहा था, जहाँ प्लेट रखी गयी थी, उस स्थान पर लोगों का आवागमन लगातार जारी रहता है एवं वह खुला स्थान है और उक्त घटनास्थल बैहर, लामटा राजमार्ग है, जो प्लेट की चोरी की बात बता रहा है, वह सभी ठेकेदारों के पास जो पुल का काम कराते हैं, पायी जाती हैं, वह मौके पर मोटरसाइकिल से अकेले गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के

इन सुझावों को अस्वीकार किया कि जहाँ से प्लेट चोरी हुई थी, उस कैम्पस में मौके पर कोई नहीं था तथा उनके कैम्पस से कोई सेंट्रिंग प्लेट को किसी व्यक्ति ने वहाँ से चोरी कर हटाया नहीं था और प्लेट बहुत बजनदार थी और दो व्यक्ति भी नहीं उठा सकते हैं, वह प्रार्थी अर्जुन के कहने पर असत्य कथन कर रहा है।

10. साक्षी अर्जुन राहंगडाले अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग डेढ़-दो वर्ष पूर्व ग्राम परसवाड़ा की है, वहाँ पुल निर्माण का कार्य चल रहा था। वह वहाँ जे.सी.बी. मशीन चलाता था। वह नाले की तरफ गया था, तब देखा कि लोहे की सेंट्रिंग प्लेट पड़ी हुई थी, सुबह 06 बजे की बात थी, वहाँ दो लोग मौजूद थे, जो उसे देखकर भाग गये। वहाँ पर उसे खलिहान पर एक आदमी मिला, जिससे उसने पूछा तो उसने बताया कि यह खलिहान विवेक परते का है, जिसके बाद उसने आरोपी के विरुद्ध थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने घटनास्थल से लावारिस हालत में दो लोहे की प्लेटें जप्त की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11. साक्षी अर्जुन राहंगडाले अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि सेंट्रिंग प्लेटें उसके कब्जे व जवाबदारी में नहीं रखी गई थी, उसके कब्जे में जे.सी.बी. मशीन रहती है, जहाँ पुलिया का निर्माण हो रहा था, वहीं पर बैहर-लामता रोड है, जहाँ पुल बन रहा था, उसके किनारे खुली जगह बंधियों में प्लेटें मिली थी, उसने किसी को प्लेटें ले जाते हुए नहीं देखा था, यदि काम के दौरान उन प्लेटों को किसी व्यक्ति ने या मजदूरों ने रखा हो तो उसे जानकारी नहीं है, उसने प्रथम सूचना पत्र प्र.पी.02 में आरोपी द्वारा प्लेट चोरी कर ले जाने वाली बात नहीं लिखाई थी। खलिहान विवेक का था, इसलिये उसने शक के आधार पर उसका नाम पुलिस को बताया था, यदि उसके पुलिस कथन

और प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेक परते द्वारा प्लेट चोरी करके ले जाने वाली बात लिखी हो तो वह गलत है,

12. साक्षी अर्जुन राहंगडाले अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी विवेक परते को पहले भी नहीं जानता था और अभी भी नहीं जानता है, पुलिया के नाले से लगी विवेक परते की जमीन है, इसलिये उसने लोगों के बताये अनुसार विवेक परते की जमीन होने की बात बताया था, ठेकेदार द्वारा कितनी प्लेट निर्माण कार्य में रखी गई थी और उनके क्या नहीं थे, वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट प्र.पी.02 को पढ़कर नहीं सुनाया था और ना ही उसने उसे पढ़कर देखा था। जिस समय उसने प्लेट देखा था, उस समय सुबह 5:00 बजे थे और अंधेरा था। उसके पुलिस बयान में देख-रेख करने वाली बात लिखी हो तो वह गलत है। प्रथम सूचना पत्र प्र.पी.02 एवं उसके पुलिस कथन में उसने पुलिस को दो प्लेट करीबन 100 किलो दो गुणा चार वाली कीमती लगभग 10,000/- रुपये की विवेक परते परसवाड़ा और अन्य लोग मिलकर चोरी कर ले जा रहे थे, प्र.डी.01 का कथन नहीं दिया था, पुलिसवालों ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकता। प्र.पी.01 पर भी उसने पुलिस थाना परसवाड़ा में हस्ताक्षर किया था। प्र.पी.01 और प्र.पी.03 में क्या लिखा था, उसे पढ़ने का मौका नहीं आया था। उसने पुलिसवालों और अपने सेठ के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। जहाँ पर प्लेट पड़ी थी, वह किसकी जमीन थी, यह उसे आज भी नहीं मालूम।

13. साक्षी कुंजन टेकाम अ.सा.05 का कथन है कि वह दिनांक 30.11.2014 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाने पर सूचनाकर्ता अर्जुन राहंगडाले की सूचना पर आरोपी विवेक परते पिता दर्शन परते के विरुद्ध में अपराध क्रमांक 175/14 धारा 379 भा.दं0सं0 का अपराध कायम किया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही अर्जुन राहंगडाले की निशादेही पर मौके पर जाकर मौका-नक्शा तैयार किया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा ए से ए भाग पर प्रार्थी अर्जुन राहंगडाले के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही

लावारिश हालत में घटनास्थल से कुछ दूरी पर खेत में दो नग लोहे की सेंद्रिंग प्लेट जिसकी लंबाई दो गुणा चार साईज की है, जिसकी कीमत करीबन 10 हजार रुपये है, को गवाह अर्जुन राहंगडाले एवं देवचंद भलावी के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी अर्जुन राहंगडाले, साक्षी रमेश, देवचंद, संजय मदनकर के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 01.12.2014 को मो0 इकराम खान उर्फ जिमी के बयान उसके बताये अनुसार लेख किया था।

14. साक्षी कुंजन टेकाम अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने प्रथम सूचना पत्र प्र.पी. 02 प्रार्थी अर्जुन राहंगडाले के बताये अनुसार लेख नहीं किया था, सूचना पत्र उसने अपने मन से लेख कर लिया था, साक्षीगण अर्जुन, रमेश, देवचंद, संजय एवं मो0 इकराम खान उर्फ जिमी के कथन अपने मन से लेख कर लिया था, उक्त साक्षीगण ने उसके समक्ष कोई कथन नहीं दिये थे, उसने उक्त साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख कर लिया था, उसने साक्षीगण के समक्ष मौके से लावारिश हालत में दो नग लोहे की प्लेट का मेमोरेन्डम तैयार नहीं किया था, उसने प्र.पी.01 में बताई गई लोहे की प्लेट की साक्षीगण के समक्ष जप्ती नहीं बनाई थी, वह मौके पर नहीं गया था और थाने में बैठकर प्र.पी.03 का मौका नक्शा तैयार किया था, आरोपी का उसके घर एवं मौके पर जाकर कोई फरारी पंचनामा तैयार नहीं किया था, प्रार्थी अर्जुन राहंगडाले ने उसके कब्जे में घटनास्थल पर कितनी लोहे की प्लेट रखी थी, नहीं बताया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना में प्रार्थी के कब्जे में कितनी प्लेट थी, उसका उल्लेख नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि प्रार्थी अर्जुन के कब्जे में कोई सेंद्रिंग की प्लेट नहीं थी तथा उसने प्रकरण में गलत विवेचना कर प्रकरण झूठा तैयार किया था।

15. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी अर्जुन अ.सा.04 द्वारा अभियुक्त विवेक तथा तीन अन्य लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में परिवादी द्वारा अभियुक्त को देखना तथा पहचानना व्यक्त किया गया है। तत्पश्चात

मुख्यपरीक्षण में अर्जुन अ.सा.04 ने आरोपी को पहचानने से इंकार कर खलिहान मालिक का नाम विवेक परते बताये जाने के कारण अभियुक्त के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त को जानने से इंकार कर कथन किये कि उसने आरोपी को प्लेट ले जाते नहीं देखा था और मात्र पुलिया निर्माण स्थल से लगी जमीन आरोपी की होने के कारण उसने आरोपी का नाम लिखाया था। साक्षी ने स्वयं भी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के विपरीत कथन किये हैं तथा जप्ती प्र.पी.01 पर भी पुलिस थाना परसवाड़ा में हस्ताक्षर करना स्वीकार किया और व्यक्त किया कि प्लेट बरामदगी स्थल की जमीन किसकी थी, उसे नहीं मालूम।

16. जप्ती पत्रक प्र.पी.01 में भी जप्तीस्थल घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित खेत में उल्लेखित है। उक्त जप्ती पत्रक में यह कहीं भी दर्शित नहीं है कि कथित खेत आरोपी का था। अन्य कोई भी साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने मात्र चोरों द्वारा प्लेट छोड़कर भागने के कथन किये हैं। अभियुक्त को चोरी करते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा और ना ही उसके आधिपत्य से संपत्ति बरामद हुई। यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि जप्तीस्थल अभियुक्त का खेत था, तब भी अभियोजन साक्षियों ने ही यह व्यक्त किया है कि चोर प्लेट छोड़कर भाग गये थे। अधिकांश साक्षियों द्वारा स्वीकार किया गया है कि निर्माणस्थल से अभियुक्त का खेत लगा हुआ है। संभव है कि अज्ञात चोर अन्य व्यक्तियों को आते देखकर अभियुक्त के खेत में चोरी के दौरान प्लेट छोड़कर भाग गये हो। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को घटनास्थल से दो नग लोहे की प्लेटें वजन करीब 100 किलो को बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी की। अतः अभियुक्त को भा.दं0सं0 की धारा-379 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लोहे की दो नग सेंट्रिंग प्लेट पुलिस थाना परसवाड़ा में सुरक्षार्थ रखी गई है। उक्त जप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात वैध आधिपत्यधारी को प्रदान किये जाने बाबद् आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा को ज्ञापन जारी किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

19. अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 09.03.2016 से दिनांक 14.03.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)